भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 736816

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

हम कि मुरलीधर यादव पुत्र श्री अखिलेश यादव व गिरधर यादव पुत्र श्री विजय शंकर यादव, मु0--निजामुद्दीनपुरा, मऊनाथ भंजन, जनपद--मऊ इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं जो दिनांक 24--05--2010 को अस्तित्व में लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी समाज सेवा जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, गरीबों के उत्थान, अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान करने में विशेष रूचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते हैं। मैं मुरलीधर यादव मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम व गिरधर यादव महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट नामक ट्रस्ट की स्थापना करने की घोषणा करते हैं ट्रस्ट का नाम, पता निम्नवत है।

ट्रस्ट (न्यास) का नाम--	श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट (न्यास)	
ट्रस्ट का पता--	मुहल्ला	गालिबपुर (भीटी)
	पोस्ट	मऊनाथ भंजन
	थाना	कोतवाली
	परगना	सदर
	तहसील	सदर
	जनपद	मऊ

मुख्यालय-- पंजीकृत कार्यालय मु0--गालिबपुर (भीटी), मऊनाथ भंजन, जनपद--मऊ (उ0 प्र0) आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(1) श्री मुरलीधर यादव पुत्र श्री अखिलेश यादव, मु0--निजामुद्दीनपुरा, मऊ (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम)

(2) श्री गिरधर यादव पुत्र श्री विजय शंकर यादव, मु0--निजामुद्दीनपुरा, मऊ (महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)

(3) श्री रामलखन यादव पुत्र श्री विजय शंकर यादव, मु0--निजामुद्दीनपुरा, मऊ (सदस्य)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 736817

(5) श्री हरिनाथ सिंह यादव पुत्र स्व0 पूर्णमासी, ग्रा0–देऊपुर, गाई, गाजीपुर (सदस्य)

(6) श्रीमती निर्मला पत्नी श्री विजय बहादुर, ग्रा0–तेन्दुली, पलिगढ़, मऊ (सदस्य)

(7) श्रीमती विभा यादव पुत्री श्री शिवशंकर यादव, मु0–गालिबपुर (भीटी), मऊ (सदस्य)

(8) श्री विजय शंकर यादव पुत्र श्री जगरनाथ यादव, मु0–निजामुद्दीनपुरा, मऊ (सदस्य)

(9) रेखा यादव पुत्री विजय शंकर यादव, मु0–निजामुद्दीनपुरा, मऊ (सदस्य)

ट्रस्ट का नाम– श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट (न्यास)

ट्रस्ट का पता– मु0–गालिबपुर (भीटी), मऊनाथ भंजन, जनपद–मऊ

ट्रस्ट का मुख्यालय– मु0–गालिबपुर (भीटी), मऊनाथ भंजन, जनपद–मऊ

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारतवर्ष

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य– ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर शिक्षण संस्थाएँ यानि प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च स्तरीय महाविद्यालय, शैक्षणिक विद्यालय व चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ–साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना है। प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था करना एवं संचालन करना, शिक्षा को देश–प्रदेश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना, स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट हर सम्भव प्रयत्नशील रहेगा। ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश–प्रदेश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व दलितों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक, संस्था आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नारी उत्थान, बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाईब्रेरी, कला केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंग होम की स्थापना करना, ट्रस्ट दैवीय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 736818

आपदा में जिला व राज्य प्रशासन का समय साधन से समय–समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय से समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय–विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना एवं बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, टेक्निकल कालेज, सी0बी0एस0ई0 के स्कूलों की स्थापना उ0 प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। निकट भविष्य में जगरनाथ जी शिक्षण एवं प्रशिक्षण (बी0टी0सी0) संस्थान, सोनादेवी बालिका महाविद्यालय विजय कॉलेज आफ मैनेजमेन्ट साईन्सेज, जगरनाथ जी विधि महाविद्यालय, विजय इन्जीनियरिंग कॉलेज आदि संस्थायें प्रारम्भ की जायेंगी एवं भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेंगी उनका नाम ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा।

ट्रस्ट का कार्यकाल– संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी की पत्नी या पुत्र/पुत्री क्रमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी के पद को धारण करेगें, इनके न रहने पर ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता– श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

ट्रस्ट की सदस्यता– ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 9 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम, द्वितीय की सहमति से 1,00,000.00 रूपये सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट एक अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्यों के अतिरिक्त रू0 25,000.00 सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा परन्तु प्रबन्ध समिति गें प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक ट्रस्टी ही होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 736819

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य–

मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी प्रथम –

1– संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।

2– संरक्षक द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमन्य होंगे।

3– संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

4– किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायक मत देना।

5– आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।

6– ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

7– ट्रस्ट (न्यास) वाहय एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के तमाम संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का कर्तव्य होगा।

8– मुख्य संरक्षक ट्रस्टी संस्थाओं के लिए भूमि भवन का क्रय–विक्रय लीज (पट्टा) करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करेगा।

9– ट्रस्टी चल–अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।

10– ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है।

11– संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

12– संस्थापक ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।

13– किसी भी सामान्य उद्देश्य से संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।

यास पत्र

25,000.00	250.00	20	270.00	800
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री मुरलीधर यादव
पुत्र श्री अखिलेश यादव
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी निजामुद्दीनपुरा सदर मऊ
अस्थायी पता निजामुद्दीनपुरा सदर मऊ
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/5/2010 समय 3:46PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0पी0यादव
उप निबंधक सदर
मऊ
24/5/2010

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री मुरलीधर यादव
पुत्र श्री अखिलेश यादव
पेशा व्यापार
निवासी निजामुद्दीनपुरा सदर मऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री संजय कुमार
पुत्र श्री गंगा राम
पेशा व्यापार
निवासी सिन्धी कालोनी सदर मऊ
व श्री असगर अली
पुत्र श्री मुहर्रम अली
पेशा नौकरी
निवासी कोपागंज घोसी सदर मऊ
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0पी0यादव
उप निबंधक सदर
मऊ
24/5/2010

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 736820

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय–

1– मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य संरक्षक ट्रस्टी को अवगत करायेगा।

2– बैठक बुलाना एवं सूचना देना।

3– ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए निर्देश देना।

4– नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद जारी करना।

5– ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन एवं पदोन्नति आदि का पूर्ण अधिकार महासचिव संस्थापक ट्रस्टी को होगा।

6– ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यों का सम्पादन करना।

7– अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार होंगे।

8– ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने के लिए संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी दोनों के सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी–

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग–

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1– साधारण सभा

2– प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन)– साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 736821

बैठकें–

1– **साधारण बैठकें–** ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार मार्च व सितम्बर माह में होगी।

2– **विशेष बैठक–** दो तिहाई सदस्यों की लिखित माँग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि– साधारण समिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति– बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन– साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य– साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

(अ) वार्षिक आय–व्यय बजट चेक करना।

(ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

(स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

(द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय–समय पर उनके कार्यों को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन– साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होंगे। प्रबन्धक, उपप्रबन्धक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक ट्रस्टी का होगा या संस्थापक ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट में

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 736822

संस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी के सहमति से 25,000.00 रूपये सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी एक संस्था के लिए होंगे, इनकी अधिकतम संख्या 9 होगी एवं ट्रस्ट के सदस्यों से अलग होंगे तथा इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें–

सामान्य– सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष– विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की माँग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग तथा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– यदि किसी सदस्य के अस्वाभाविक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय का अनुमोदन आवश्यक

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
AE 736823

है यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की नियुक्ति मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 1,00,000.00 रूपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

1– बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।

2– ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।

3– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।

4– आय–व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22– ट्रस्ट (न्यास) के कोष–

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 736824

23– ट्रस्ट (न्यास) के आय–व्यय का लेखा परीक्षण–

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व–

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित नियुक्त कर सकती है।

25– ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख–

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे–सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक ट्रस्टी के पास होंगे।

26– श्री जगरनाथ जी विद्या ट्रस्ट (न्यास) के पास इस सदस्यता शुल्क के माध्यम से रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध हैं।

27– ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही– ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

28– ट्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक ट्रस्टी का होगा।

29ए– हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 736825

(10)

29बी– संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

29सी– केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

29डी– आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

दिनांक : 24 मई 2010

दस्तखत गवाह